सत्यमेव जयते

पंचदश

बिहार विधान-सभा

एकादश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 18 अग्रहायण 1935 (श0) / 9 दिसम्बर, 2013 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या-02

(1) गृह (आरक्षी) विभाग	..	..	01
(2) वित्त विभाग	..	..	01
		कुल योग ..	02

शिड्यूल–2 का लाभ

1. श्री दुर्गा प्रसाद सिंह––क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छठे वेतनमान के आलोक में वैसे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को जो 31 दिसम्बर, 2005 के बाद नियुक्त हुये हैं, उन्हें वेतन पुनरीक्षण/निर्धारण में शिड्यूल–2 का लाभ दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा उक्त लाभ देने से राज्य के ऊपर वर्णित पदाधिकारी/कर्मचारी को चार से पाँच हजार रुपया का अधिक लाभ 31 दिसम्बर, 2005 से पूर्व से नियुक्त कर्मियो से मिल रहा है ;

(3) क्या यह बात सही है कि 1 जनवरी, 2006 के पहले नियुक्त हुये पदाधिकारी/कर्मचारी को शिड्यूल–2 का लाभ नहीं दिया गया है तथा विभाग के पास वेतन विसंगति का मामला विगत आठ माह से विचाराधीन है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दिनांक 1 जनवरी, 2006 से पहले नियुक्त राज्यकर्मियों को शिड्यूल–2 का लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषियों पर कार्रवाई

2. श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी––दिनांक 17 अक्टूबर, 2013 को स्थानीय दैनिक समाचार–पत्र में प्रकाशित समाचार शीर्षक "अफसरों की सुस्ती से 75 करोड़ का नुकसान" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2012 में माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट पुलिस मुख्यालय के नये भवन के निर्माण हेतु 206 करोड़ रुपये का प्राक्कलन तैयार किया गया था जिसका कार्यान्वयन समय पर नहीं होने के कारण अब उसका प्राक्कलन 281.24 करोड़ हो गया है जो पिछले प्राक्कलन से 75.24 करोड़ अधिक है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो बेवजह 75.24 करोड़ राशि का भार सरकारी खजाने पर पड़ने का क्या कारण है तथा सरकार दोषी पर कौन–सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 9 दिसम्बर, 2013 (ई0)।

फूल झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान–सभा।

बि0स0मु0 (एल0ए0), 108–डी0टी0पी0–450